

RR for the post of SLA & LA

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-73

REGISTERED No. D. (D.N.)-73



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8]
No. 8]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 20, 1982/फाल्गुन 1, 1903

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 20, 1982/PHALGUNA 1, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

(रक्षा मंत्रालय की छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1982

सां० कां० नि० 171—कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 108 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) की, समय-समय पर यथा संप्रोक्षित दिनांक 15 मार्च, 1976 की सख्या सां० कां० नि० 242 (2) की अधिसूचना में पुनर्निर्माणित गणोद्यम करणी प्रवृत्ति —

कम्पनि अधिसूचना के खण्ड (ग) में, प्रविष्टि (1) निम्नलिखित कर दी जायेगी एवं निम्नलिखित प्रविष्टियां 1 से 7 का पुनर्गठन 2 से 6 होगा।

2 ऊपर कम्पनि गणोद्यम 1 फरवरी, 1982 से प्रभावी होगा।

[सं० ए-45011/51/81-प्रशां० I]

भार० डी० सजीजा, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 10th February, 1982

G.S.R. 173.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 10E of the Companies Act, 1956

1387 GU/1—1

(1 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Government of India, Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Company Affairs) No. GSR 242 (F), dated 15th March, 1976, as amended from time to time, namely :—

In the said Notification in clause (a), entry (2) shall be deleted, and the existing entries 3 to 7 shall be renumbered as 2 to 6.

2. The aforesaid amendment takes effect from the forenoon of 1st February, 1982.

[No. A-45011/51/81-Admn. I]
R. D. MAKHEEJA, Under Secy.

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1982

सां० कां० नि० 174.—प्रचलित भाग्यीय सेवाएं (गोपनीय पत्रियां) नियम, 1970 के नियम 4 के अनुसरण में और दिनांक 11 मिनट 1973 की अधिसूचना संख्या 34/4/71-सां० से० (iii) खंड 1 (ब) का अधिसूचना करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके माध्यम से संवत् 1982 के प्रथम वर्ष के रूप में निर्दिष्ट करती है जिसमें प्रचलित भारतीय सेवाओं के प्रत्येक सदस्य के संबंध में गोपनीय रिपोर्ट लिखी जाएगी।

(479)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संज्ञासूची

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1981

सां.का.प्रि. 178--संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सं.सं.सं.सं. संवैधानिक प्रयोगशाला, गिडो, महाराष्ट्र (धेनी 3) धर्ती नियमों, 1965 का अधिष्ठापन करते हुए राष्ट्रपति एन.व्हा.सं.सं.सं. संवैधानिक प्रयोगशाला, महाराष्ट्र में गृह 'ग' के कुछ पवों के धर्ती नियमों को पद्धति को चिन्तित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :—

1. इन नियमों का नाम सं.सं.सं.सं. संवैधानिक प्रयोगशाला, गिडो, महाराष्ट्र (अनुच्छेद 'ग' पद) धर्ती नियम, 1981 है।

2. ये सरकार राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. उपयोगनः—ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कालम-1 में निर्दिष्ट पवों पर लागू होंगे।

3. पवों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :

पवों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान बही होंगे जैसा कि अनुसूची के स्लम 3 से 4 में निर्दिष्ट है।

4. धर्ती की विधि, प्राप्ति, अर्हताएँ, धादि :

उक्त पवों पर धर्ती की विधि, प्राप्ति, अर्हताएँ तथा अन्य बातें बही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्लम 5 से 13 में निर्दिष्ट है।

5. धनहस्ता : कोई व्यक्ति,—

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविधा करता/करती है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवन रहने हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करना/करती है अथवा विवाह की संविधा करता/करती है, सेवा में नियुक्त होने का पात्र नहीं है/होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह गमायान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाला स्वीय विधि के अधीन अनुशेष है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. छूट देने की शक्ति :

जहाँ केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है वहाँ निम्न कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी धेनी या धर्ती में संशोधित धर्तियों को इन नियमों से किसी उपबंध से छूट दे सकती है।

7. व्याप्ति :

इस संशोध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जनि/अनुसूचित जनजाति तथा विशेष वर्गों के धर्तियों के लिये जिन धाखणों और अन्य धियायनों की व्यवस्था करना अपेक्षित है, उन पर इन नियमों को किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पवों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	धन पद	शीट धर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए प्राप्ति/अर्हता	शीट धर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ
1	2	3	4	5	6	7
प्रयोगशाला सहायक	(*) 16	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' कार्य-धारा के अनुसार इस श्रेणी में परिचालन किया जा सकता है।	260-8 300- 800-8-340 10-800- 380-800- 430-800-	अचयन	18 से 25 वर्ष के व.व.। (सरकारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक शि-पिलनीय)	एम० एम० एल० सी० पास या सम-तुल्य। वाछनीय प्रयोगशाला टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या प्रयोगशाला कार्य में दो वर्ष का अनुभव।
					नोट -- प्राप्ति/अर्हता धादि धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहते वाले धर्तियों से (उमसे धि जो अह-मान और निबोवार डिपसमूह तथा नक्षत्राप में रहते हैं) आदेशन प्राप्त करने की धादि तारीख होगी।	

8	9	10	11	12	13
शैक्षिक प्रहेक्षण हा	दो वर्ष	75 प्रतिशत पदोन्नति होगा और 25 प्रतिशत संघों में ही होगा	पदोन्नति : प्रयोगशाला परिवार विभागों में पदोन्नति सामान्य जागू नहीं होगा	जिनमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—	
प्रामुखी, म.			जो कम से कम तीन वर्षों की सेवा कर चुके हों और एम० एम० एम० सी० या उनके समतुल्य परीक्षा पास हों	1. निदेशक, बी० सी० जी० प्रयोगशाला, निदेश, मद्रास, —प्राथमिक	
				2. दो उप निदेशक, बी० सी० जी० प्रयोगशाला, निदेश, मद्रास —सदस्य	
				3. सहायक निदेशक, किंग्स इन्स्टीट्यूट, तमिलनाडु सरकार —सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7
5. बरिष्ठ प्रयोगशाला महायक	* 6 (छ.)	केंद्रीय स. ग. न्य सेवा समूह "ग" घराय-पक्षित प्रमिपिक-वर्गीय	260-8-300- 307-8-340- 10-380-40- 10-430 70	जागू नहीं होगा	18 में 25 वर्ष के बीच (गरकारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक अधिकतम) नोट : प्रामुखीमा प्रव-धार्मिक करने की निर्णायक नारीय भारत में रहने वाले अध्यापियों से (उनमें किन्न जो अश्वमान तथा लक्ष्मीय में रहने हैं) आदेशन प्राप्त करने की अधिक नारीय होंगी।	प्रो-निर्दिष्टिटी (विज्ञान) घयव। श्रृंग संकेन्द्री (विज्ञान) या समतुल्य प्रहेक्षण/प्रयोगशाला टेक्नोलॉजी डिप्लोमा रखने वाले या किसी मान्यता प्राप्त जागू विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला के कार्य में प्रशिक्षित या प्रयोग कार्य में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव रखने वालों को नरजाहू दी जाएगी।

8	9	10	11	12	13
जागू नहीं होगा	दो वर्ष	75 प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा और 25 प्रतिशत सीधी प्रती द्वारा।	ऐसे प्रयोगशाला महायकों का स्थानान्तरण करके जो कम से कम तीन वर्षों की सेवा कर चुके हों और एम० एम० एम० सी० या समतुल्य परीक्षा पास हों।	विभागीय पदोन्नति समिति जिनमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—	जागू नहीं होगा
				1. निदेशक, बी० सी० जी० प्रयोगशाला, निदेश, मद्रास —अध्यक्ष	
				2. दो उप निदेशक, बी० सी० जी० प्रयोगशाला, निदेश, मद्रास—सदस्य	
				3. सहायक निदेशक, किंग्स इन्स्टीट्यूट, तमिलनाडु सरकार—सदस्य	

[स० ए० 12018/5/78-प्रशासन-III/जन स्वास्थ्य]

बी० के० बी० नेगी, प्रवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 30th December, 1981

G.S.R. 178.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and, in super-session of the BCG Vaccine Laboratory, Guindy Madras (Class III) Recruitment Rules, 1965, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'C' posts in the BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Madras, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Madras, (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scales of pay.—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule aforesaid.

4. Method of recruitment, age limits and qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Education and other qualifications required for direct recruitments
1	2	3	4	5	6	7
4. Laboratory Assistant	16 (Sixteen)	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 260-8-300-EB-8-340-10-EB-380-EB-10-430	Non-selection	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions and orders issued by the Central Government.	Pass in Secondary School Leaving Certificate or its equivalent. Desirable : Diploma in Laboratory Technology or two years experience in Laboratory work.
					Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	
*Subject to variation dependent on work load.						
8	9	10	11	12	13	
Educational Qualification—Yes Age limit—No	Two years	75% by promotion and 25% by direct recruitment	Promotion-Laboratory Attendants possessing not less than three year's service in the same post and a pass in Secondary School Leaving Certificate or equivalent examination.	Departmental Promotion Committee consisting of (1) Director, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Madras—Chairman (2) Two Deputy Assistant Directors, BCG, Vaccine Laboratory, Guindy, Madras—Members. (3) Assistant Director, Kings Institute, Government of Tamil Nadu—Member	Not applicable	

1	2	3	4	5	6	7
5. Senior Laboratory Assistant	6(six)*	General Central Service, Group 'C' non-gazetted Non-Ministerial	Rs. 260-8-300 - EB-8-340-10-380 EB-10-430	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions and orders issued by the Central Government. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Pre-University (Science) or Higher Secondary Science or equivalent qualifications. Preference will be given to a candidate possessing a Diploma in Laboratory Technology or training in bacteriological work in recognised bacteriological laboratory or experience in Laboratory work for at least two years.

*Subject to variation dependent on work load.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	75% by transfer 25% by direct recruitment	Transfer of Laboratory Assistants possessing not less than three years regular service and possessing a pass in S.S.L.C. or equivalent examination.	Departmental Promotion Committee consisting of (1) Director, BCG Vaccine Laboratory, Guindy Madras (Chairman) (2) Two Deputy Assistant Directors BCG Vaccine Laboratory, Guindy Madras. (Members). (3) Assistant Director, Kings Institute, Government of Tamil Nadu (Member).	Not applicable.

[No. A-12018/5/78—Admin. II/P.H.]

B. K. D. NEOI, Under Secy.